

राजस्थान सरकार  
वित्त/कर विभाग

जयपुर, दिनांक 15. 1. 98

28 वित्त/कर अनु./96

--: अधिसूचना :-

राजस्थान स्टाम्प विधि अनुकूलन अधिनियम, 1952 1952 का अधिनियम सं. 7 द्वारा राजस्थान में यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम सं. 2 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 को धारा 9 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके आदेश देती है कि स्टाम्प शुल्क, खातेदारों/ मालिकों द्वारा उनको भूमि संप्रदाय करने के लिये, अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित सहमति विलेख/ विलेख प्रमाण पत्र पर भूमि के बाजार मूल्य का 10% से कम करके 5% कर दिया

राज्यपाल के आदेश से,  
ह/—  
विनोद कपूर  
उप शासन सचिव

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, "कर-भवन" अजमेर ।  
सं. 7/299/1018/जन/ 2365-2772 दिनांक: 4/2/98

- 1 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 2 शासन उप सचिव, वित्त/कर-अनुभाग, विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 3 महालेखाकार/लेखा परीक्षा सं. आर. स. -5, राजस्थान, जयपुर ।
- 4 तमस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयन, राजस्थान ।
- 5 अतिरिक्त कलक्टर/मुद्रांक, जयपुर ।
- 6 तमस्त उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक कलक्टर/मुद्रांक, राजस्थान ।
- 7 वरिष्ठ लेखा अधिकारी, मुख्यालय- अजमेर ।
- 8 सहायक महानिरीक्षक, मुख्यालय- अजमेर ।
- 9 तमस्त उप पंजीयकमण, राजस्थान ।
- 10 सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय- अजमेर ।
- 11 तमस्त आ. ले. जाँ. दल, मुख्यालय- अजमेर ।
- 12 निजी सचिव-महानिरीक्षक/ निजी सहायक-अतिरिक्त महानिरीक्षक ।
- 13 तमस्त शाखाएँ, मुख्यालय- अजमेर ।

उप विधि परामर्श,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान- अजमेर ।